



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

कार्तिक 10, शुक्रवार, शाके 1941-नवम्बर 1, 2019
Kartika 10 Friday, Saka 1941-November 1, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, 31 अक्टूबर, 2019

संख्या एफ10()चुनाव/स्वा.शा./19/ 11795:-चूंकि निम्नांकित सारणी में वर्णित जिलों में उनके सम्मुख वर्णित 49 नगर निगमों/नगर परिषदों/नगरपालिका मण्डलों, जिनमें से 43 नगर निकायों का कार्यकाल माह नवम्बर, 2019 में समाप्त हो रहा है, तथा 6 (नवसृजित) नगरपालिकाओं का साधारण निर्वाचन किया जाना है:-

क्र.सं.	जिला	निकाय का नाम
1.	अजमेर	नगर परिषद ब्यावर
2.		नगर पालिका पुष्कर
3.		नगर पालिका नसीराबाद नवगठित
4.	अलवर	नगर परिषद अलवर
5.		नगर परिषद भिवाडी
6.		नगर पालिका थानागाजी नवगठित
7.	बांसवाडा	नगर परिषद बांसवाडा
8.		नगर पालिका परतापुर गढी नवगठित
9.	बाडमेर	नगर परिषद बाडमेर
10.		नगर परिषद बालोतरा
11.	बीकानेर	नगर निगम बीकानेर
12.	बांरा	नगर पालिका मांगरोल
13.		नगर पालिका छबडा
14.	भरतपुर	नगर निगम भरतपुर
15.		नगर पालिका रूपवास नवगठित

16.	चित्तौड़गढ	नगर परिषद चित्तौड़गढ
17.		नगर पालिका निम्बाहेडा
18.		नगर पालिका रावतभाटा
19.	चूरु	नगर परिषद चूरु
20.		नगर पालिका राजगढ (चूरु)
21.	दौसा	नगर पालिका महवा नवगठित
22.	हनुमानगढ	नगर परिषद हनुमानगढ
23.	जैसलमेर	नगर परिषद जैसलमेर
24.	जालौर	नगर परिषद जालौर
25.		नगर पालिका भीनमाल
26.	झुंझनूं	नगर परिषद झुंझनूं
27.		नगर पालिका पिलानी
28.		नगरपालिका बिसाउ
29.	जोधपुर	नगर पालिका फलौदी
30.	कोटा	नगर पालिका सांगोद
31.		नगर पालिका कैथून
32.	नागौर	नगर पालिका मकराना
33.		नगर पालिका डीडवाना
34.	पाली	नगर परिषद पाली
35.		नगर पालिका सुमेरपुर
36.	राजसमन्द	नगर पालिका नाथद्वारा
37.		नगर पालिका आमेट
38.	सीकर	नगर परिषद सीकर
39.		नगर पालिका नीमकाथाना
40.		नगर पालिका खाटूश्यामजी नवगठित

41.	श्रीगंगानगर	नगर परिषद श्रीगंगानगर
42.		नगर पालिका सूरतगढ
43.	सिरोही	नगर परिषद सिरोही
44.		नगर पालिका माउण्ट आबू
45.		नगर पालिका शिवगंज
46..		नगर पालिका पिण्डवाडा
47.	टाँक	नगर परिषद टाँक
48.	उदयपुर	नगर निगम उदयपुर
49.		नगर पालिका कानोड

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम सं.18) की धारा 11 की उप धारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंषा पर, ऊपर वर्णित नगरपालिकाओं के स्थानों को भरने के लिए राज्य सरकार एतद् द्वारा मतदान की **तारीख 16.11.2019** नियत करती है, और ऊपर वर्णित नगरपालिका के प्रत्येक वार्ड से यह अपेक्षा करती है कि वह स्थानों को भरने के लिए उक्त अधिनियम एवं तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार उस वार्ड के लिये एक सदस्य निर्वाचित कर दें।

राज्यपाल की आज्ञा से
उज्जवल राठौड,
निदेशक एवं संयुक्त सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।